



Ree  
01  
20/3/18

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2675779, 2675780 ईमेल : [secy-uic@gov.com](mailto:secy-uic@gov.com) वैब: <http://uic.gov.in>  
पत्रांक २८८९ /उ.सू.आ./ 2016–17 दिनांक १५.०२.२०१८

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

अपील संख्या-25332/2017 श्री मोबीन हसन बनाम लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित दिनांक 12/03/2018 के आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि

(शालिनी नेगी)

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि : श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित.

संलग्न : यथोपरि

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

### आवश्यक सूचना—:

“ समस्त लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा। ”

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून,

## उत्तराखण्ड

अपील संख्या : A(D) -25332 / 2017

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सूका अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा० राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

**अपीलकर्ता :** श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

### बनाम

- प्रतिवादी**
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
  2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

### आदेश:

यह द्वितीय अपील श्री मोबीन हसन द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. पुकार लगायी गयी।
3. पुकार पर अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री बसंत सिंह रावत उपस्थित हैं, उन्होंने लोक सूचना अधिकारी की आख्या प्रस्तुत की, जिसे पत्रावली एवं कार्यवाही का भाग बनाया गया।
4. इस द्वितीय अपील में दिनांक 08/05/2017 को अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी, समय पर सूचना न मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 18/07/2017 को प्रथम अपील दायर की गयी। दिनांक 14/09/2017 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया, ताकि प्रथम अपील का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी की आख्या के अनुसार अपीलार्थी की अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया। उनके अनुसार मुख्य मामला समाज कल्याण विभाग

**कार्यालय :** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
 विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, 4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001  
 Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं (0135) – 2713760, 2713551  
 फैक्स नं (0135) – 2713724

संख्या: 400 /XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,

मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
 सूचना का अधिकार भवन,  
 लाडपुर रिंग रोड देहरादून।

**विषय:-** अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में  
उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2— उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3— आवेदक के मा० मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा० आयोग के आदेश संख्या-9963/शि.स./12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा० आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4— अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

5— उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6— उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7— महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

8— निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन की प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण उक्त अपील की

सुनवाई पर मैं मा० आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूं इसलिए विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से मा० आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री बंसत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को ही अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या—५०० / XXV—१२/२०१५ , तददिनांकित

१— प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु मा० आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में  
की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं  
पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप- "ख")

01	प्रथम अपील/विभागीय अपील पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	15-09-2017
02	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	09-10-2017 एवं 26-10-2017
03	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	19-09-2017 एवं 12-10-2017
04	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	पंजीकृत डाक द्वारा रसीद संलग्न
05	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	31-10-2017 कार्यालय पत्रांक 2541 दिनांक 31-10-2017
06	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	-
07	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....  


नाम. मस्तू दास

पदनाम सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0 0135-2713551

ई-मेल आई. election@09

**कार्यालय :** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, 4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001  
Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551  
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या: 399 / XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड देहरादून।

**विषय:-** अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017/18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2— उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3— आवेदक के मा० मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा० आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स. /12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा० आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन की अपील पर सुनवाई हेतु पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4— अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।


5— उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6— उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7— महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

  
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की  
गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं  
पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।  
(प्रारूप- "क")

01	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	अप्राप्त
02	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	अप्राप्त
03	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	—
04	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब— (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है।	—
05	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब— (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	—
06	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब— (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ड) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	—
07	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब— (क) तृतीय पत्र को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक	—

	(ख) तृतीय पत्र का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8	आवेदन को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से क आवेदक को प्रेषित किया गया है।	-
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	-
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर ..... B. S. Rawat  
 नाम. बसन्त सिंह रावत  
 पदनाम अनुभाग अधिकारी  
 पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
 विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड  
 दूरभाष/फैक्स न०/मो०न० ०१३५-२७१३७२४  
 ई-मेल आई. **election@09**

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001  
Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं 0 (0135) - 2712055, 271355  
फैक्स नं 0 (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 209 /XXV-23(Part-2) / 2017 देहरादून: दिनांक १२ मार्च, 2017.

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

विषय:- आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार के पत्रांक भ्र०नि०स०/५/१७ दिनांक 22 फरवरी, 2017 की (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवद्वीय,

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या- २०९/XXV-23(Part-2) / 2017 , तददिनांकित

प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को उनके उक्त वर्णित शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

कार्यलय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून' 20-09-2017

क्र० सं०	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराषि
1	श्रीमती आशा देवी	गोपेश्वर	EV523706651IN		
2	सचिव राज्य निर्वाचन आयोग	देहरादून	EV523706679IN		
3	श्री वी०एस० दुबे अधिवक्ता	दिल्ली	EV523706784IN		
4	आयकर उप निदेशक (जांच)	ऊधमसिंहनगर	EV523706665IN		
5	श्री भूषण सिंह रावत	हरिद्वार	EV523706550IN		
6	श्री मनमोहन सिंह	देहरादून	EV523706798IN		
7	श्री मोबीन हसन जिलाध्यक्ष	हरिद्वार	EV523706546IN		
8	सचिव, उत्तराखण्ड	देहरादून	EV523706775IN		
9	श्री जीवन राम	चम्पावत	EV523703006IN		
10	साईबर ट्रेजरी	देहरादून	EV523702990IN		
11	श्री रिखब सी जैन	दिल्ली	EV523706648IN		
12	महालेखाकार	देहरादून	EV523703125IN		

A handwritten signature is written diagonally across the page, starting from the top left and ending near the bottom right. Above the signature, there are two large, roughly circular numbers: '12' on the left and '19' on the right. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains text in Devanagari script, which appears to be a date, possibly '21-09-2017'. The entire document is dated '20-09-2017' at the top.

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं (0135) - 2712055, 271355

फैक्स नं (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2375 / XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 19 सितम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,

श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,

निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

विषय:-

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश संख्या- 9963/शिं०स०: 12439/उ०स०आ०/2017 दिनांक 14-09-2017 जो आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त कम में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक: भ्र०न०स०/५/१७ दिनांक 22-2-17 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, को कार्यालय पत्र संख्या-209/XXV-23 (Part-2)/2017 दिनांक 02 मार्च, 2017 (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।


2- उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन एवं प्रथम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण इसका निस्तारण नहीं किया जा सका।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश के कम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीप,

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड

पृ० संख्या-2375/XXV-12/2015 , तददिनांकित

1-प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड

कार्यलय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून 13-10-2017

क्रम संख्या	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराशि
1	सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग	देहरादून	EV523703743IN		
2	श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ	हरिद्वार	EV523703876IN		
3	श्री के सुरेश कुमार उप सचिव (वित्त)	दिल्ली	EV523703615IN		

5 दीप्ति सेभवान

5 रजेश पवार

५०६  
३०८

EV5237036241IN  
EV523703859IN

SPEED POST-BNPL  
DD-10-208



Ram Bala  
Bala

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन नं (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स नं (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2454 / XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 12 अक्टूबर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपकी अपील पर सुनवाई दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को निर्धारित की गयी थी, परन्तु आप उक्त अपील की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

संबंधित अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पुनः तिथि निर्धारित की गयी है। अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड | १२.१०

पृ० संख्या- 2454/XXV-12/2015 , तददिनांकित

1-प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड | १२.१०

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या— 04/2017

अपीलकर्ता— श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार निवासी  
ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ०बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

/बनाम

उत्तरदाता:— लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के आदेश संख्या— 9963/  
शि०रा०:१२४३९/उ०सू०आ०/२०१७ दिनांक 14-०९-२०१७ के क्रम में अपीलकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ०बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को कार्यालय पत्र संख्या— 2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के माध्यम से  
सूचित करते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह: 11.00 बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध  
किया गया था, किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। साथ ही कार्यालय पत्र  
संख्या— 2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से पुनः दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह: 11.00  
बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त तिथियों में आप कार्यालय में  
उपस्थिति नहीं हुए।

यदि आप सहमत हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी ५१०१८

प्रियांक - ३११०१०१७

पृ०संख्या २५४) /XXV-१२/२०१५, तददिनांक।

१— प्रतिलिपि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के आदेश संख्या—  
9963/शि०रा०:१२४३९/उ०सू०आ०/२०१७ दिनांक 14-०९-२०१७ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

२— प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ०बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी ५१०१८

० १८

कार्यलय:- मुख्य निवाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून 03-11-2017

क्रमांक संख्या	नाम	जनपद	बार कोड	भार	धनराषि
1	श्री मोबीन हसन	हरिद्वार	EV523705205IN		
2	सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग	देहरादून	EV523705214IN		

SPEED POST-BNPL  
DD-10-208



प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरिद्वार।

19/9/17

सेवा में

जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

पत्रांक 2123-२४ स०क०/छात्रवृत्ति/2017-18 दिनांक 19/9/2017

विषय:- जनपद हरिद्वार में ऑनलाईन छात्रवृत्ति की बेवसाइट खुलने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल के आपको पृष्ठांकित पत्रांक संख्या 4681 दिनांक 23-02-17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री मोबीन हसन, निवासी ग्राम तेलीपुरा पो० बिहारीगढ़ हरिद्वार द्वारा निर्वाचन के कारण जनपद हरिद्वार में छात्रवृत्ति की ऑनलाईन बेवसाइट में तकनीकी कारणों से आवेदन अपलोड नहीं होने तथा निर्वाचन के दौरान आचार रांहित प्रभावी होने के कारण छात्रवृत्ति बेवसाइट नहीं खुलने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन/निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु छात्रवृत्ति की बेवसाइट बेवसाइट दिनांक 24-03-2017 से 26-03-2017 तक खोली गई थी। उक्त तिथियों को बेवसाइट खोले जाने की सूचना कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है।

अतः सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(दीपसन्ध अग्नहोत्री)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
हरिद्वार।

पृष्ठांकन संख्या

/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- श्री मोबीन हसन, निवासी ग्राम तेलीपुरा पो० बिहारीगढ़ हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,

हरिद्वार।

३७८१५

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... श्री बीबी इस्माईल खान जी चुरहसब
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है जा० टैलूग फै० बिहारीबाड़०  
ल० भगवानपुर ज० हरिहर
3. दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर..... ९५५४१२२५१७
4. आवेदन देने का दिनांक..... ४-५-१५
5. कार्यालय का नाम..... श्री निवाचन लायोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलत : आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें )
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना  
रिकार्ड की प्रमाणित छाति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी-रुड़की 10/- नगद/-स्टाम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक..... ३३ F - ७६०५४। पौरस्तल डाउर
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हाँ/नहीं यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक..... ✕

श्री बीबी इस्माईल  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चम्पा करते हुए रजिस्टर पी.सी./डाक व्यवस्था सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डक्टर व्यवदेय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

© 2017

4.

1.	13.02.2017	निवारण	विद्युत बिल के लिए निवारण करना। इसके लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत	जु-प्रा 2016/01 लोटी की जगह एफ। (म) ४३५७ ८२१ १५/१५ ०५.२.१७	निवारण	29.3.17	29.3.17
2.	21.02.2017	निवारण	विद्युत बिल के लिए निवारण करना। इसके लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत	जु-प्रा 2016/01 लोटी की जगह एफ। लोटी लागत 1280 दिनांक 23.2.17	निवारण	29.3.17	29.3.17
3.	19.04.2017	निवारण	विद्युत बिल के लिए निवारण करना। इसके लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत	जु-प्रा 2016/01 लोटी की जगह (म) ४३५७ १७२० १५/१५ २१.४.१७	निवारण	18.5.17	18.6.5.17
4	07/09/2017	निवारण	निवारण करने के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत	जु-प्रा 2016/01 प्राप्ति 23.2.2017 11 Sep 2017 ८/११ आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत DEO द्वारा देखा गया	—	—	11 Sep 2017
05	19/9/2017	निवारण	मासा द्वितीय के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत के लिए आयामी लोटी के लिए विद्युत के लिए प्रक्रिया लागत	संचालन के लिए एफ। नायेंगन लागत 2375 रु 19/9/17	निवारण	9/10/17	9/10/17

**कार्यालय :** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, 4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001  
Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं 0 (0135) – 2713760, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) – 2713724

संख्या: 400 / XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड देहरादून।

**विषय:-** अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में  
उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन  
संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017'18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

**2-** उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

**3-** आवेदक के मा० मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439 / 18(1) पर मा० आयोग के आदेश संख्या-9963 / शि.स./ 12439 / उ.सू.आ./ 2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा० आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

**4-** अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

**5-** उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।


**6-** उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

**7-** महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

**8-** निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 12 मार्च, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन की प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण उक्त अपील की

सुनवाई पर मैं मा० आयोग के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हूं इसलिए विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से मा० आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री बंसत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को ही अधिकृत किया जा रहा है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,  
  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या— / XXV-12/2015 , तददिनांकित

1— प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु मा० आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

  
( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
(प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी)  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में  
की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं  
पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।  
(प्रारूप— “ख”)

01	प्रथम अपील /विभागीय अपील पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	15-09-2017
02	प्रथम अपील /विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	09-10-2017 एवं 26-10-2017
03	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	19-09-2017 एवं 12-10-2017
04	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	पंजीकृत डाक द्वारा रसीद संलग्न
05	प्रथम अपील /विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	31-10-2017 कार्यालय पत्रांक 2541 दिनांक 31-10-2017
06	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	—
07	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....

नाम. मस्तू दास

पदनाम सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0 0135-2713551

ई-मेल आई. election@09

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, 4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001  
Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in फोन नं 0 (0135) – 2713760, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) – 2713724

संख्या: 399 / XXV-12/2015 देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2018.

सेवा में,

सचिव,  
मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग  
सूचना का अधिकार भवन,  
लाडपुर रिंग रोड देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-A (D)-25332/2017 की सुनवाई पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या-A (D)-25332/2017 पर सुचनवाई हेतु अपने पृष्ठांकन संख्या-13166/उ.सू.आ./अपील/2017/18/(CIC) दिनांक 21.12.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2— उक्त के संदर्भ में निवेदन सहित अवगत कराना है कि, श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण समिति जिला हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 22.02.2017 को कार्यालय पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित करते हुए प्रति आवेदक को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। (संलग्नक-1)

3— आवेदक के मा० मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2017 के क्रम में शिकायत संख्या-12439/18(1) पर मा० आयोग के आदेश संख्या-9963 /शि.स. /12439/उ.सू.आ./2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 में मा० आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र संख्या-2375 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 (संलग्नक-2) के द्वारा श्री मोबीन हसन की अपील पर सुनवाई हेतु पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु अपीलार्थी उक्त नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

4— अपील पर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान करते हुए अपीलार्थी को पुनः कार्यालय पत्र संख्या-2454 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 (संलग्नक-3) के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे अपील पर सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलार्थी उक्त तिथि पर भी अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

5— उक्तानुसार दो बार अपील पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अपील की सुनवाई पर उपस्थित न होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-2541 दिनांक 31.10.2017 (संलग्नक-4) के द्वारा उक्त अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

6— उक्त के संबंध में निवेदन सहित यह भी अवगत कराना है कि, संबंधित प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है जिसे इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 मार्च, 2017 के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा नियमानुसार निस्तारण हेतु समाज कल्याण विभाग को संदर्भित कर लिया गया था, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया गया। (संलग्नक-5)

7— महोदय चूंकि प्रकरण समाज कल्याण विभाग से संबंधित है इस लिए इस प्रकरण पर संबंधित विभाग को ही अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत करते हुए अपील का निस्तारण करने की कृपा की जाय।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,



(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की  
गई आपत्तियों के साथ—साथ निम्नलिखित बिन्दुओं  
पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(प्रारूप— “क”)

01	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	अप्राप्त
02	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	अप्राप्त
03	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	—
04	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब— (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है।	—
05	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब— (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	—
06	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब— (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ङ) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	—
07	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब— (क) तृतीय पत्र को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक	—

	(ख) तृतीय पत्र का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	
8	आवेदन को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से के आवेदक को प्रेषित किया गया है।	—
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	—
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत है।	नहीं

लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
 नाम. बसन्त सिंह रावत  
 पदनाम अनुभाग अधिकारी  
 पूर्ण पता कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
 विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड  
 दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0 0135-2713724  
 ई-मेल आई. **election@09**



प्राप्त - १५/११/२०१७

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

शिकायत संख्या: 12439 / 18(1)

शिकायत कर्ता: श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार

### बनाम

प्रतिपक्षी: विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

### आदेश

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार द्वारा आयोग को अपना पत्र दिनांक 29.08.2017 प्रस्तुत किया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत सक्षम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है/ ऐसी विभागीय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. उक्त शिकायती पत्र को मूल रूप में संलग्नकों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22 मार्च 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुये इसका समयबद्ध निरस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।
4. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

संलग्नक:- आवेदन कर्ता का शिकायती पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित।

(झरना कमठान)

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

दिनांक १५.०९.१७

पत्रांक ९९६३ / शिरोसंख्या: 12439 / उ०स०आ०/ २०१७

प्रतिलिपि:

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. शिकायतकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ।

नोट:- कृपया आयोग से पत्राचार करते समय आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत संख्या/ अपील संख्या का उल्लेख अवश्य करें।



सेवा में

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त मंड़ोपम

G(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
P.S.	Dy. Secy.	

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

विषय - सूचना आयोग अधिकारी की द्वितीय अपील

31/8

महोदय पार्टी के दि. २२-२-१७ को एक आवेदन आदर्शनालय आयोग समिति के दौरान सरकारी लाभ के आवेदन पुकारों में राज्य निविल आयोग को भेजा था। जिस पर कोई कृत सुनवाई की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जानकारी हेतु दि. ४-५-१७ को R.T.I आवेदन किया गया जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि कृत आवेदन लोक सूचना आयोग समिति द्वारा कार्यालय किया गया था। परन्तु कोई जानकारी (सूचना) प्राप्त नहीं हुई जिसका कारण

दि. १८-७-१७ को उपम विभागीय अपील प्रवित की गई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई जिस कारण उपम विभागीय अपील प्रक्रूति की जा रही है।

अतः महोदय को साधा अनुबंध है कि कार्य को वादित सूचना दिलाने हेतु विभागीय कार्यवाही की जैसी भी कृपा कर देनी चाही

२०२९-८-१७

सलग्नक - १- आवेदन दि. २२-२-१७ की दृष्टिकोण

२- दि. ४-५-१७ का R.T.I आवेदन "

३- उपम विभागीय अपील "

४- दायरे पत्रकी जूते "

मोर्चिन हसन  
मवदीय

जिलाध्यक्ष

अम प्रकोष्ठ

उत्तराखण्ड निकारक अभियान

गिरा दरिया (उत्तराखण्ड)

निर्गुण तेलपुरा

गुरु विहारीगढ़

जिम हरियाली

**भ्रष्टाचार विरोध समिति**  
COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF CORRUPTION

पत्रांक: अ०नि०स०/..... 5 / 17

दिनांक : २२-१-१७

संचार में ईडम राज्य निवारण औद्योगिक बोर्डों  
उत्तराखण्ड (दैवताल्पुर)

**विषय -** अद्यता पुनर्वाच आचार सहित के दैवत सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकाशन के

महोदया सारद अवधि करना है कि नेशनल फूल शार्ट्स निका-तेलपुरा नॉन विहारी गढ़ नॉन भगवानपुर जि. हीड़िकाट का निवासी है। ये भवन एवं इ-ए सनियोजित बस्ती कर्माल वॉड उत्तराखण्ड में घोषित आमिन है उनकी पंजीकरण स० H-3623 दि० २-३-१५ है इन्होंने दि० १२-११-१६ को अपनी पुनर्निवासी की जिसका रजिस्ट्रेशन दि० ४-१२-१६ को नॉन विवाह रजिस्ट्रेशन महोदया के यहा कराया था। एवं शाश्वत अनुदान का आवेदन नियमानुसार हीड़िकाट भ्रष्ट पुर्वतन औद्योगिक महोदया के कार्यालय में २२-१२-१६ को जमा किया था(दस्ती) उस वक्त बताया गया था पुनर्वाच घोषित होने को है इसलिए ये पार्श्व आचार सहित के बाद ही अगे भेजा जायगा, वोट उल्लेख के बाद कार्यालय जाकर मात्र मिल जाएगा तो बताया है कि आवेदन तो ६० दिन के शारनावरा के अनुसार अव ओनर सेवित की जावीज में पड़ती है ऐसे में सरकारी ज्ञान का आवेदन विवरित रूप से है जिसको कानूनीयता नहीं मिला जा सकता।

अतः महोदया से सारद अनुदान है कि आवेदन को अद्यता कर्माने हैं तो तब उत्तराखण्ड बोर्ड नॉन विवाह आचार सहित सरकारी औद्योगिक महोदया श्रम कर्मालय हिन्दू(रोशनाली)

संस्करण

- 1- शाश्वत अनुदान को आवेदन  
(द्वितीय आवेदन)

जनहित में सहोग की उपेक्षा भवधिय

मो-१५८८८२२१७

जिलाधार मौजीन हसन  
अम प्रकाश तथा  
जनराज निवारक समिति  
जिला हाईकोर्ट (उत्तराखण्ड)  
नियमानुसार तेलपुरा  
दो० विहारीगढ़

चलाराखण्ड अवन एवं अन्य समिनर्माण कर्मकार कल्पाण कोर्ट के अन्तर्गत निर्जन अभिक को सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्राप्त

शाहित सहायता संबंधी कालान पर सही (✓) का निर्णय अंकित करें।

मृत्युप्रसाद तथा अन्यथा हेतु आर्थिक सहायता  
शास्त्रीय चालान वीमा घोजना  
प्रधान हेतु आर्थिक सहायता  
65 अर्द्ध और आदि पूर्ण होने के  
उपरान्त पैदान  
पारिवारिक पैदान  
दूल किट हेतु सहायता  
साईकिल हेतु सहायता

- निःशरण पर पैदान
- स्थायी निःशरण हेतु अनुग्रह धनशालि
- बच्चों को विद्या हेतु आर्थिक सहायता
- विद्यालयसाहा आर्थिक सहायता
- प्रसूति-मनुषिया हेतु आर्थिक सहायता
- मकान की खरीद हेतु दूल
- सोलर लालटन हेतु सहायता
- सिलाई भवीन हेतु सहायता

(नोट: आवेदन पत्र का अद्येत कालान हेतु दूल साथ अक्षमों में भरा पारा)

१. निर्णय अभिक का नाम:

प्रसीन ८१० श०१५३२

दंजीकरण दिनांक: २-९-५

२. पंजीकरण नं.: ५-३६२३

३. दावान पत्र: रा० तेलपुरा को. विद्यारिगढ़ न०३३३३१५२

मामूल नं: ९५३६५३६५६४



जि० है२३२

(हेतु संख्या ३ में अंकित पते के संबंध में निर्णय अभिक द्वारा प्रमाण स्वयं आवार-कार्ड/प्रधान काड/वोटर काड पर उपलब्ध हो जाना आवश्यक है।)

४. संलग्न प्रमाण-पत्र (संलग्न घोषी से वेखकर आवेदित घोजनाओं में अवश्यकतापूर्त प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो सत्यापित किये गये हैं। अवश्यक-पत्र के सभी संलग्न किया जाना आवश्यक है।)

५. परिचय-पत्र वी छापप्रति (संलग्न किया जाना आवश्यक है)

६. ऐक पत्र दुक की छापप्रति (संलग्न किया जाना आवश्यक है)

v. २१०८० २१०८२१ पुमाण पत्र

vi. आवार कार्ड की छापप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है

vii. परीक्षा रज० की अकल

viii. २१२१ का७

vii. छोपणा

१. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपसेवा की गयी समस्त घूमना वीरी जानकारी में भरता है। यदि इस जन्मन में कोई सम्बन्ध
२. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे अंशवा ने परिवार के लिए राजीनामा इत्योजना अधिकी इस प्रदान की अन्वेषण-पत्र के सभी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

प्र० ३०  
प्रसीन

श्री/ भ्रीमारी/ कु...  
मेरे आव दिनांक  
किया।

को एक प्रार्थना पत्र

लाभार्थी पंजीकरण संख्या  
घोजना के असर्गत प्राप्त

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम, पदनाम व मुद्रा  
दिनांक

प्रान्त-XXXIII [देखिए नियम 266 (8)]

भवन एवं अन्य सम्बन्धित कर्मकार का पहचान पत्र



पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा लाहित  
उसके हस्ताक्षर, पदनाम और तिथि

सदस्य का नाम ..... जसीम अली / शाक्तजांग  
पता ..... पातकृल्ला पुरुष तलपटा  
पों बिक्रीगाड़ त० घुणवनपुर  
ज्ञाल, छुड़ातांग वालापुर  
(U.K.)

पुरुष/स्त्री .....

पुरुष

कार्य का नाम .....

निकायी श्रीमिक

पंजीकरण संख्या .....

H/3623

जिला .....

जीरकासा

पंजीकरण का दिनांक .....

02/09/2015

बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होता है

O.B.C. बैंक जीरकासा

अंशदान की दर, रुपये 75/- वार्षिक तथा पंजीकरण  
शुल्क रुपये 25/-

जन्मतिथि ..... 01-01-1969

आयु के पूर्ण वर्ष .....

सेवानिवृत्ति की तिथि .....

45 वर्षी

वैवाहिक स्थिति ..... विवाहित/अविवाहित

पती/पति नाम .....

जमरी खेठाम

पता .....

उमरीका

इस पती/पति इस कल्याण बोर्ड का सदस्य है यदि हाँ तो  
उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

गान्धीरोपी के नाम .....

जमरी खेठाम

सदस्य से सम्बन्ध पालन


सदस्य के हस्ताक्षर/अंगठे का निशान

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

जसीम अली

जसीम  
नाम

OFFICE OF THE REGISTRAR COMPULSORY REGISTRATION  
OF MARRIAGES  
ROORKEE-I,HARIDWAR, UTTARAKHAND (INDIA)  
(Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)



ARSHAD ALI NASREEN

ID-2396 8511 2581 ID-6583 2001 3488

This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage dated 07 Dec 2016 of Shri/Mr. ARSHAD ALI Son of Shri SHAMSHAD Resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 and Shrimati /Mrs. NASREFN wife of Shri ARSHAD ALI resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 the Memorandum of Marriage solemnized on 12 Nov 2016 at VILLAGE-FATEHULLAPUR URF TEHPURA PRAGNA & TEHSIL BHAGWANPUR DISTRICT HARIDWAR has been entered at serial number 199 at page number 313 to 320 of volume number 18 dated 08 Dec 2016.

Dated-08 Dec 2016

Registrar

Compulsory Registration of Marriages  
ROORKEE-I,HARIDWAR  
UTTARAKHAND (INDIA)

Mo. No.  
Date





**भारत सरकार**  
**Unique Identification Authority of India**  
**Government of India**

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/42536/29895

To  
 नसीम अली  
 Naseem Ali  
 S/O: Shahjeha  
 fatehullapur urf telipura  
 Fatehullapur Telipura  
 Biharigarh  
 Roorkee Haridwar  
 Uttarakhand 247662  
 9536538588

28/01/2015  
 245584121  
 MD 455841213FT



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**8424 0350 5004**

**आधार - आम आदमी का अधिकार**



Government of India

नसीम अली  
 Naseem Ali  
 जन्म दिनी / DOB : 01/01/1969  
 पुरुष / Male



**8424 0350 5004**

**आधार - आम आदमी का अधिकार**

**सूचना**

- आधार पहचान का प्रमाण है, भागिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा पाप्त करें।

**INFORMATION**

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

**■ आधार देश भर में मान्य है।**

- आधार अविष्या में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



**आधार**  
 Unique Identification Authority of India

पता:

मान्यका: भारतीय, फतेहलपुर, उत्तर  
 तेलपुरा, फतेहलपुर तेलपुरा,  
 बिहारिगढ़, हारिद्वार, उत्तराखण्ड,  
 247662

Address:

S/O: Shahjeha, fatehullapur urf  
 telipura, Fatehullapur Telipura,  
 Biharigarh, Haridwar,  
 Uttarakhand, 247662

1967  
 1200 300 1947

1967  
 1200 300 1947

**8424 0350 5004**

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

प्रिंट  
 नसीम

# ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

punjab national bank

JFS.C. कोड: PU-NBO/66300

खाता विवरण

SD: BUGGAWALA (DISTT HARDWAR)

BUGGAWALA (DISTT-HARDR, UTTARAKHAND - (Phone: 01332-281466

Our toll-free number 1800 180 2222 from anywhere in India\*

Mode of Operation : SELF

Customer No. : CLY001146

Account No. : 166300 0100105496 INR

MER NASIM S/O SHAHJAHAN

TELPURA

BUGGAWALA -UA

UTTARANCHAL INDIA

Pin : 247662

Nomination Registered at Sl.No. : 2477405496

Nominee Name : IMRAT JAHAN

Date of Issue : 24-04-2010

~~\*\*Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your Pass Book completed once a month.~~

गांक /DATE

प्रबन्धक /MANAGER

~~नेटेवर्क बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) द्वारा जारी होने वाले प्रत्येक चेक, बिल, विल, बैंक अकाउंट, खाता विवरण, इनकार्ड, एसेमेंट, एम्प्रेस, एम्प्रेस एवं एम्प्रेस एसेमेंट आदि अकाउंट रखें।  
2010 वर्ष 01 दिन/उठ, एक महीने में खाता से खातावाले ग्राहकों का अकाउंट रखें।  
Under Centralized Banking Solution System, Bank Shall only honour or pay the cheques of its customers against clear balance up to the previous day and having regard to the drawals if the day already made in the account.~~

पास बुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप

## ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

समरोधन	SD
Clearing	Cdg.
अन्तरण	Ans.
Transfer	Tr.
चैक	Chk.
Cheque	Cheq.
कमीशन	Comm.
Commission	Comm.
ब्याज	Intt.
Interest	Intt.
बट्टा	Disc.
Discount	Disc.
बाहरी चैक/खरीद गये विल	Outstation Cheques/Bills Purchased
Outstation Cheques /Bills Purchased	Outstation Cheques/Bills Purchased
लापता विल	Lapata Bill
Dividend Warrant	D/W
वापती	D/W
Returning	Waپتی
प्राप्तिग्राहक प्रभार	Rig.
Incidental Charges	Prapti Grahak Prabhār
आगे से जाया गया	I/C
Carried Over	Agre se jaaya gaya
पीछे से लाया गया	Carried Over
Brought Forward	Peechhe se laaya gaya
स्थानीय चैक/मांग ड्राफ्ट	Local Cheque / Demand Draft
Local Cheque / Demand Draft	Local Cheque / Demand Draft
ड्राफ्ट	Draft
नकद	Cash
Cash	Cash
बाहरी विल/चैक	Outstation Bill / Cheque
Outstation Bill / Cheque	Outstation Bill / Cheque
आवाहक डाक अन्तरण	O.B.C.
Inward Mail Transfer	Aavahak Daak Antartaran
विदेशी बाहरी विल खरीद	Foreign Outward Bills Purchased
Foreign Outward Bills Purchased	विदेशी बाहरी विल वसूली
विदेशी बाहरी विल वसूली	Foreign Outward Bills Collected
नाम	Name
Debit	Debit
जमा	Credit
Credit	Credit

नि०६३०  
नेशनल

ग्राम रेखा का नाम

ग्राम तोन नाम

## परिवार संकेत

वयों पर्याप्त का नाम

तहसील

विकास खण्ड

2019/20

क्रम संख्या	पक्षन नं०	परिवार के प्रमुख का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता / पति का नाम	पुरुष जीविता	पर्याप्त जीवि- ती की दस्ता में जाति	जन्मतिथि वर्ष ज्ञात हो अथवा संभाव्य जन्म तिथि	धन्या	सामाजिक नियम संसाधनों की दस्ता में अर्हता और व्योग	सामेल छोड़ देने या मृत्यु का दिनांक	विभिन्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	384	मिशन	मिशन	मिशन	५१	३५	१०-५५	१०५	१०५	१०५	मिशन
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

टिप्पणी :- अधिकृत स्तरमें आदेश की संख्या तथा दिनांक यदि नोई नाम बढ़ावा दी जाए तो सभी प्रश्नों के उत्तरादेश दी जाने चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... श्री बीबी इस्माईल खान
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है। ग्राहनपुर जि. हरिहर
3. दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर..... ९५५४१२२५१७
4. आवेदन देने का दिनांक..... ४-५-१५
5. कार्यालय का नाम..... श्री निवेन्द्र यायोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलत : आवेदन संलग्न है (अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें )
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना रिकार्ड की उभारित छृति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी-रुड़की 10/- नगद/-स्टाम्प (बी.पी.एल.सूची सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. एवं दिनांक..... ३३ F - ७६०५४। पैसटल अड्डे
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हाँ/नहीं यदि हाँ तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक..... ✕

श्री बीबी इस्माईल  
हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चाहिए करते हुए रजिस्टर पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल.सूची के सदस्य को ड व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर



33F 760481

आमुरोद्य पत्र

६ मीमान लोक सूचना अधिकारी भवोदय  
राज्य निवासन आयोग इलाहाबाद  
देहरादून

विषय: सूचना अधिकारी अनुसृत आवेदन  
भवोदय जापी ३५८ के १५-२२-२१७ को एक जापनी पत्र राज्य  
निवासन अधिकारी भवोदया को अपराधक कार्यवाहि हैलू  
उपरित किया था (दायुषित सत्त्व) काफी समय गुजरने  
के बाद उसे इकात प्रकाशन में कृत कार्यवाहि को जापनी  
जापी को नहीं हुई है जिसकारण जापनी पत्र R.T.I.  
अस्तुत कर जानकारी चाही गई है,

१- इकत प्राप्ति पत्र क्या कार्यवाहि हुई

२- विषय में इकत प्राप्ति क्या कार्यवाहि यह है

१५-८-५-१७

संतुष्टिक

- १- १५-२२-२१७ को उपरित  
प्राप्ति पत्र की उति
- २- पोस्टल ऑफिस न० १०  
म० ३३८ ७६०४८।

भवोदय  
मालीन इसन

जिलाध्यक्ष  
श्रम प्रबोधन  
अध्याचार निवारक समिति  
जिला हाइकोर (उत्तराखण्ड)  
निं०ग्राम तेलपुरा  
दौ० बिहारीगढ़  
त०भगवानपुर  
किं०हीरापुर

नेवा के

प्रीमान/प्र०३३-

बुधवरी विभागीय अपीलीय अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड

विषय - सूचना अधिकार अन्तर्गत पुराम विभागीय अपील

महोदय

निवेदन है कि प्राप्ति के दिन २२-२-१७ को श्रृंग

प्राधिकारी पत्र अवश्यक कार्यवाही है कि उपरिकृत किया था।  
काप्ति समय गुजरने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जिसका  
जानकारी है कि दिन ८-५-१७ को R.T.I अवेदन भेजा गया  
जो द्रास्टर किया गया था (दायांकित सलान) परन्तु  
विचारित ३० दिन के समय उपरान्त भी कोई जवाब  
नहीं प्राप्त हुआ। जिस कारण पुराम विभागीय अपील  
प्रस्तुत की जा रही है।

अतः विचारानुसार पुराम अपील का  
निम्नरूप कर वांछित सूचना दिलाने का बहुत करें  
कृपा होगी।

दिन १४-७-१७

सलानक

१- सूचना आवेदन की पुरिति

२- द्रास्टर पत्र की पुरिति

भवदीय

मोक्षीय हस्तन

अधिकारी  
अम प्रकोष्ठ

काल्पनिक निवारक समिति  
जिला छरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दिन ०४३० त्रिलोकपुरा

दिन ०५३० बिहारीगढ़

दिन ०५३० हरिद्वार

भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता  
राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप  
में मान्य नहीं होगा।



दिनांक

प्रमाणित कर्ता के  
हस्ताक्षर एवं मोहर

परिवार के मुखिया का नाम श्री / श्रीमती ..... जरा भाइ

पिता/वाहि का नाम श्री ..... नौ १८ अक्टूबर

मोहरला

पता नम्बर न० .....

नाम वाई ..... रमेशा ..... नाम गजस्व आम लोल्पुरुष संघ

शहर/ग्राम सभा लोल्पुरुष तहसील २०५३ विंडू भगवान्तु

परिवार के मुखिया का व्यवसाय बूज

तथा उसका पता .....

परिवार की कुल वार्षिक घोषित आय २५०००००

एत. ग्री. जी. कमेक्षण संख्या .....

एस०वी०सी० डी०वी०सी० गैर नहीं है

गैर इजेन्सी वा नाम

मास्टर/कोउन्डर एजिस्टर का क्रमांक

ट्रक्कन रजिस्टर का क्रमांक

व्याधिकृत वितरक का नाम श्री

नीरंजन का दशा में पूर्व

राशन कार्ड का क्रमांक ..... ३३१७६

यूनिट का विवरण	अवधि के	शब्द में
आविष्य	१८	मार्च २०१३
नाब्दिलिं	१	
शेयर	१८	श्री ओम

दिनांक

क्र. व्याच. क्रमिक  
प्रदान नं. १०५३  
दिनांक

### परिवार के सदस्यों

संक्षिप्त	परिवार के सदस्यों का नाम	परिवार के मुखिया विविध	दिना	उपयोग	वेदांग	प्रमाणित
१	बृहान			४०		
२	दृष्टि रात अदी			३५		
३	नालिया			१५		
४	बाल्मीया			१८		
५	बा. अ. दुर्वा			११		
६	लाल लाल			१०		
७	श्री दुर्वा			९		
८	भाई व			६		
९	बुवाई			५		
१०						
११						
१२						
१३						
१४						
१५						
१६						

उपरोक्त विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य संदर्भ है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर/विश्वासी अंगूठा  
(परिवार के मुखिया का)

परिवार के सदस्यों का विवरण		परिवार के सदस्यों का विवरण	
प्राप्ति	विवरण	प्राप्ति	विवरण
१	४५	१	१८
२			
३			
४			
५			
६			
७			
८			
९			
१०			
११			
१२			
१३			
१४			
१५			
१६			

दिवाली माह ..... से लिया जान वर्तुलों का वितरण करेंगे।

प्रत्येक घरिलूपि पर दिनांक सहित ढंगाकाट

# उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत / दस्ती

अपील संख्या:  
अपील अन्तर्गत धारा  
अपीलकर्ता

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून  
A(D)-25332 / 2017

19 (3) सू. का अधि. अधिनियम 2005  
श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति/रजिलामाहिस्ट १८ प्रथम पत्री संख्या-  
तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
पत्र प्राप्ति का दिनांक- २६/१२/१७

बनाग

- प्रत्युत्तरदाता 1.** लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून
- 2.** विभागीय अपीलीय अधिकारी/ सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून

## नोटिस

अपीलकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निर्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 17.12.2017 को प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 12.03.2018 (सोमवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार गतन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.15 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है।

- 2.** अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधिक प्रस्तुत रामबी को नियम ४ के अनुसार ग्रात्युत्तरदाता को पंजीकृत डॉक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
- 3.** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 12.03.2018 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रत्युत्तरदाताओं ने यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-गेमोरेप्डग के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों।

## लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा

स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

## विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

आयोग की/ओर से

(झरना कमठान)

सचिव

संख्या : १३१६६, उ.सू.आ./अपील/2017-18/(CIC)

दिनांक : २१.१२. , 2017

## प्रतिलिपि

1. श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार निवारक समिति, जिला हरिद्वार, ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

ARO(K)

जनताउन्हार पत्रावली

प्रत्यक्ष कृपा

B १० मि-१-१८  
P.T.O.

(झरना कमठान)  
सचिव

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के सामने प्रस्तुत करेंगे  
 (प्रारूप - "ख")

1.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक	
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	
6.	यदि प्रथम अपील का निरस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निरस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व रथान पर कार्यरत हैं	

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 पूर्ण पता .....  
 दूरध्वाप/फैक्स न0/ मो0न0.....  
 ई-गेल आई.डी.....

II पुति

19 पृष्ठ

सेक्रेटे

श्रीमान मुख्य सूचना आधिकारी महोदय

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

दि ०१०-१२-१७

विषय - शिकायत सं ।२४३९/८(१) के संदर्भ में

महोदय अकड़ करना है कि प्राप्ति के २९-४-१७ को एक द्वितीय अपील रखी उत्तराखण्ड द्वारा भी थी। इससे पूर्व दिविवत सूचना प्राप्ति पत्र एवं पुराम विभागीय अपील भी रजिस्ट्रेशन द्वारा सम्बोधित विभाग को भेजी गई थी। सरकार भी सत्त्वन के फिल्म भी भेजी द्वितीय अपील को भल चिकायत में दर्ज किया गया था एवं पुराम अपील के उपर्याम में गुरुद्वय निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को निर्वाचन देते भेजा गया। यहाँ में प्राप्ति को अकड़ करना गया कि मूल प्राप्ति पत्र दि ०२२-२-१७ तोड़ संकायीलम्ब में प्राप्त हुआ था कार्यालयके पत्र सं २०९/XXV-२३ (PART-२) २०१७ दि ०२ मार्च २०१७ को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिहर को आवश्यक कार्यवाही है तथा भेजा गया है। इसके अलावा सूचना आवेदन एवं पुराम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई इसलिए इसका निर्वाचन नहीं हो सका उक्त कुम्भ में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय/जिला निर्वाचन अधिकारी हरिहर से जानकारी प्राप्त ही थी एवं यहाँ से भी यही जवाब भिला कि गुरुद्वय निर्वाचन अधिकारी के पदां से उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई (दायरेपत्रक)

अतः महोदय से सादृश अनुरोध है कि उक्त प्रकारण में रजिस्ट्रेशन से भेजी गई पुराम विभागीय अपील एवं सूचना अधिकारी का डाकेतन कर्त्ता गया एवं गुरुद्वय निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा अविदेन कर्त्ता गया यदि राज्य में आचार समिति लाभ करने वाले निर्वाचन आयोग एवं अधिकारीयों की में स्थिति है तो राजभित्रीक दलव लेपपुत्रिनिधि बयर करें दोगे। नियमानुसार प्रकारण को निर्वाचन कर शायद अनुदान के अविदेन को अद्वैती आचार समिति को लाभ होते हुए। आवेदन स्वीकृत करने हेतु आदेशित करें को कृपा करें।

सत्त्वनक - १- मूल प्राप्ति पत्र दि ०२२-२-१७

mo- ९४५८१२२५१७

भवद्वय

२- सूचना का प्राप्ति पत्र दि ०४-५-१७

जिलाध्यक्ष  
राज्य लेपपुत्र

३- राज्य निर्वाचन आयोग से गुरुद्वय निर्वाचन अधिकारी/लोक संघ अधिकारी

जिलाध्यक्ष  
राज्य लेपपुत्र  
नियमानुसार नियमित  
जिला हारिहर (उत्तराखण्ड)  
नियमानुसार नियमित  
हरिहर

को इस्तरंगा पत्र दि ०१०-५-१७

५- गुरुद्वय निर्वाचन अधिकारी के पदां से प्राप्त पत्र

६- जिला निर्वाचन अधिकारी हरिहर के पदां से प्राप्त पत्र

६- शिकायत सं ।२४३९/८(१) को अद्वैत

गये डाक टिक्की का मूल्य 50 पैसे  
of Stamps affixed

तारीख-मोहर  
Date-stamp

रजिस्ट्री\*

प्राप्त किया

Receive Registered

पाने वाले का नाम/Addressed to

राज्य निवेदन अधिकारी  
काशी भट्ट

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Receiving Officer



दिनांक : २२-१-१७

नं. अर्गनिक्टॉल / 5 / 17

सेवा केंद्र  
शास्त्र निवेदन अधिकारी महोदया  
उत्तराखण्ड (दृष्टांख)

विषय - आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के पुकारण

महोदया साहू अवस्था करता है कि नसीम पुल शाहजहां निकारा तेतपुरा पोखरी द्वारा गढ़ त० मगधनपुर डिं हीड़ का निवासी है। ये अवन एवं इन्य सनिमणि कमीकार कर्त्त्वात् बोहु उत्तराखण्ड में खंजीकृत शासिक है उनकी पंजी करने सं० H-3623 दि० २-३-१५ है। इन्होने दि० १२-१२-१६ को अपनी पुनीकृत शादी की थी जिसका रजिस्ट्रेशन दि० ४-१२-१६ को मठका विवाह रजिस्टर महोदय के यहां कराया गया। एवं शादी अनुदान का आवेदन नियमपूर्वक दीड़ का

अभे पुर्वतन अधिकारी महोदय के कार्यालय में २२-१२-१६ को जमा किया था(दस्ती)। उस वक्त बताया गया ए कुनाव घोषित होने को है इसलिए ये फार्म आचार संहिता के बाद ही अपने भेजा जायेगा, बोहु उल्लेख के बाद कार्यालय लाकर भातूम दिया तो बताया गया कि ये आवेदन तो ६० दिन के सारानोदेश के अनुसार अव अविज हो युक्त अधिक आवेदन की इकायारी दि० १२-१-१७ आदर्श चुनाव और संघीय संघीय की अविज एवं पड़ती है इसके बाद सरकारी लोअ का उआवेदन नियमित रहता है जिसका कालबोधित नहीं भला जा सकता।

अतः महोदया ने साहू अनुदान है कि आवेदक को आदर्श चुनाव आचार संहिता का लाभ दिलाते हुए याही अनुदान जा आवेदन रवीकार करने हैं तथा यस पुर्वतन अधिकारी महोदय के कार्यालय दीड़ का रोपण करें।

संस्करणक

जनहित में सहयोग की अपेक्षा

भवद्य

१. शादी अनुदान का आवेदन  
(द्वितीय आवेदन)

के साथ

मा० ९४५८१२२५१७

जिलाधिकारी भवीन हसन  
अम फ्लोर  
बद्धाचार निवारक समिति  
जिला हरिहर (उत्तराखण्ड)  
जिला अनुदान तेतपुरा  
दो० दीड़ की वारी बढ़े

II प्राप्त

न एवं अन्य समिलण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक के सहायता प्रदान  
किये जाने हेतु आवैदन-पत्र का प्राप्ति

प्राप्ति सहायता संबंधी कालम पर जड़ी (✓) कर निशान लगाइए करें।

मूल्यपरामर्श तथा अनुशंसित हेतु आर्थिक सहायता  
राष्ट्रीय रक्षासेना कीमत योजना  
प्रदान हेतु आर्थिक सहायता  
इच्छा की आदु पूर्ण होने के  
उपरान्त पैशान  
परिवर्तनिक पैशान  
हून किट हेतु सहायता  
सार्विक हेतु सहायता

- विशेषज्ञ प्रद पैशान
- स्थायी निःशक्ता हेतु अनुश्रुत वनस्पति
- योजना की विधा हेतु आर्थिक सहायता
- विद्योपस्थान आर्थिक सहायता
- प्रसूति-पृष्ठुदिशा हेतु आर्थिक सहायता
- महान की घारीय हेतु उप
- शोलर लालटेन हेतु सहायता
- सिलाई भरीन हेतु सहायता

(टेट : आवैदन पत्र का इच्छक कालम इडे उथा छाफ अक्षरों में भरा जाएगा)  
निशान अधिक का नाम : नसीन ४१० श०१२४३

पंजीकरण दिनांक : २९-१५

पंजीकरण संख्या : M - 3623



वर्तमान पत्र : ४१० तेलपुरा को-विद्यारिगढ़ न०भगवन् ५२

मोमाइल न० : ९५३६५३८५६८

ठि. ४१२४३

हेतु तंज्ञा ३ में आकृति योजना के संदर्भ में निर्माण श्रमिक द्वारा प्रभाव व्यवस्था-कार्ड/राशन कार्ड/बोर्ड कार्ड जा जा  
प्रयोग हो लगाया जाना आवश्यक है।  
संलग्न प्राप्ति-पत्र (संलग्न सूची से देखकर आवेदित योजनाओं ने आवश्यकतानुसार प्रभाव-पत्र/दस्तावेज जो सत्यापित किये जाये हैं।  
आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है)

परिवर्य-पत्र की उपलब्धि (संलग्न लिंग जानक आवश्यक है)

vii. यैक यास बुल की उपलब्धि (संलग्न किया जाना आवश्यक है)

viii. २१२१ रजिस्ट्रेशन पुमाणपत्र

vii.

घोषणा

i. आधार कार्ड की उपलब्धि संलग्न किया जाना आवश्यक है
ii. परिवर्य रजिस्ट्रेशन नंबर
iii. २१२१ नं
iv.

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपलब्धता वी गयी समस्त सुविधा देनी जानकारी में सत्ता है। यदि इस सम्बन्ध में कोई स्वयं  
झूठ/विचरित पाया जाता है तो इसका समर्त्त उत्तरदायित्व तैर होगा।  
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे अध्या भी परिवर्य के किसी सदस्य द्वारा इन योजना अध्या इस प्रकार की अन्य  
किसी किसान द्वारा संचालित योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। २१२१-२-१७



ठि. ४१०  
नसीन

प्राप्ति-पत्र

लाभार्थी पंजीकरण संख्या योजना के अन्तर्गत प्राप्त

श्री/ श्रीमती/ कु.०.  
ने आज दिनांक  
किया।

की एक प्रार्थना-पत्र

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम, पदभान व मुद्रा  
दिनांक

अद्वन एवं अन्य सामिनार्थी कर्मकार का पहचान पत्र



पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय मुद्रा पत्र  
उसके हस्ताक्षर, यादाम और तिथि


सदस्य का नाम **जसीम जली** ५० शाहजहां  
पता **फतेहउल्लापुर उपी तेलपुरा**  
पो. **बिजूरीगढ़ ता. ग्रामपाल**  
**जलाल छुड़गांवला जीरा**  
(U.K.)

पुरुष/स्त्री	पुरुष
कार्य का नाम	निभाणी नामिक
पंजीकरण संख्या	14/3623
जिला	कोरिका
पंजीकरण का दिनांक	०२/०१/१९६५
बैंक एवं उसकी शाखा का नाम जिसमें अंशदान जमा होना है	
O.B.C. बैंक टिड्डुला	
कोरिका	
अंशदान की दर, रुपये 75/- वार्षिक तथा पंजीकरण शुल्क रुपये 25/-	




निःशुल्क  
नसीम

जन्मतिथि	०१-०१-१९६९
आयु के पूर्ण वर्ष	५५ वर्ष
सेवानिवृत्ति की तिथि	
वैवाहिक स्थिति	विवाहित/अविवाहित
पता/पति नाम	जपरी बोठाम
पता	
उपरोक्त	
क्या पता/पति इस कल्याण बोर्ड का सदस्य हैं यदि हैं तो उसका नाम एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या	
नामितिवां के नाम <b>जपरी बोठाम</b>	
सदस्य से सम्बंध <b>पौसे</b>	
सदस्य के हस्ताक्षर अंगठे का निशान	
<b>पंजाब अधिकारी के हस्ताक्षर यादाम</b>	
<b>जबन-नसीम जली</b>	



OFFICE OF THE REGISTRAR COMPULSORY REGISTRATION  
OF MARRIAGES  
ROORKEE-I,HARIDWAR,UTTARAKHAND (INDIA)  
(Under the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriages Act, 2010)



ARSHAD ALI NASREEN

ID-2396 8511 2581 ID-6583 2001 3488

This is to certify that as per particulars given in Memorandum of Marriage dated 07 Dec 2016 of Shri/Mr. ARSHAD ALI Son of Shri SHAMSHAD Resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 and Shrimati /Mrs. NASREEN wife of Shri ARSHAD ALI resident of VILLAGE-BONDKI POST-PUNWARKA DISTRICT SAHARANPUR UTTAR PRADESH PINCODE 247120 the Memorandum of Marriage solemnized on 12 Nov 2016 at VILLAGE-FATEHULLAPUR URF TELPURA PRAGNA & TEHSIL BHAGWANPUR DISTRICT HARIDWAR has been entered at serial number 199 at page number 313 to 320 of volume number 18 dated 08 Dec 2016.

Dated-08 Dec 2016

  
Registrar

Compulsory Registration of Marriages  
ROORKEE-I,HARIDWAR  
UTTARAKHAND (INDIA)

प्र० जा०  
रजिस्ट्रर





भारत सरकार

The Identification Authority of India  
Government of India

उमांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/42536/29895

To  
नसीم अली  
Naseem Ali  
S/O: Shahjaha  
fatehulapur urf telpura  
Fatehulapur Telpura  
Biharigam  
Roorkee Haridwar  
Uttarakhand 247662  
9536538668  
24/584121  
MP455841213FT



पक्ष आधार क्रमांक / Your Aadhaar No.:

**8424 0350 5004**

धार - आम आदमी का अधिकार



Govt of India

नसीम अली  
Naseem Ali  
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1969  
पुरुष / Male



**8424 0350 5004**

आधार - आम आदमी का अधिकार

सूचना  
 इस आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकत्व का नहीं।  
 इस पहचान का प्रमाण अँगालाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

### INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

■ आधार देश भर में मान्य है।  
 ■ आधार अविष्य में सरकारी और वैर-सरकारी सेवाओं  
 का लाभ उठाने में उपयोगी होता।  
 ■ Aadhaar is valid throughout the country.  
 ■ Aadhaar will be helpful in availing Government  
 and Non-Government services in future.



Government of India  
The Identification Authority of India

पता:  
उमांकन, शाहजहा, फतेहलपुर उर्फ  
तेलपुर, फतेहलपुर तेलपुर,  
बिहरीगांव, हरिद्वार, उत्तराखण्ड,  
247662

Address:  
S/O: Shahjaha, fatehulapur urf  
telpura, Fatehulapur Telpura,  
Biharigam, Haridwar, Uttarakhand,  
247662

**8424 0350 5004**



1200 300 1547



info@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

नसीम  
नसीम



**ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ਗਲਾ ਬੈਂਕ**  
punjab national bank

IFSC कोड: PUNBO166300

ਸ਼ਾਤਾ ਵਿਵਰਣ  
ACCOUNT PARTICULARS  
O: BUGGAWALA (DISTT-HARIDWAR)  
UGGAWALA (DISTT-HARIDWAR, UTTRAKHAND - (Phone: 01332-281466)

toll free number 1800 180 2222 from anywhere in India\*

Mode of Operation : SELF

Customer No. : CLY001146

Account No. : 166300 0100105496 INR

MIR NASIM S/OSHAHJAHAN

TELPURA

BUGGAWALA -UA

UTTARANCHAL INDIA

Pin : 247662

Nomination Registered at Sl.No. : 2477405496

Nominee Name : IMRAT JAHAN

Date of Issue : 24-04-2010

\*Computer generated entries shown in the statement  
of account do not require any authentication/initial  
by bank. Pass Book में कम से कम एक बार अवृद्धि परा करायें।  
From Bank's official. Please do not accept any manual  
entry in your Pass Book completed once a month.  
Get your Pass Book completed once a month.  
Entry in your computer generated statement of account

DATE

प্রबन্ধक/MANAGER

ਨਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ਗਲਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਤਾ ਵਿਵਰਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਵਿਵਹਿਤ ਮੁੱਲ। **LEVY OF CHARGES.** Centralized Banking Solution System, Bank Shall only honour or pay the cheques of  
customers against clear balance up to the previous day and having regard to the drawings  
they already made in the account.

ਪਾਸ ਕੁਕ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵੁਕਤ ਸ਼ਵਲ-ਸੰਕੇਤ  
**ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK**

ਸਮਾਂਸ਼ੋਧਨ	ਸ਼ੀ. ਸੋ.
Clearing	Cdg.
ਅੱਤਰਣ	ਅ.
Transfer	Tr.
ਬੈਂਕ	ਬੈਂਕ
Cheque	Ch.
ਕਮੀਸ਼ਨ	ਕਮੀ.
Commission	Com.
ਬਾਨ	ਬਾਨ
Interest	Intt.
ਬਟਾ	ਬਟਾ
Discount	Disc.
ਬਾਹਰੀ ਚੈਕ/ਬੈਂਕੀ ਨਾਲ ਵਿਲ	ਬੈਂਕੀ
Outstation Cheques/Bills Purchased	DD
ਲਾਨਾਂਥ ਪਤ	ਲ. ਪਤ
Dividend Warrant	D.W.
ਕਾਰਸੀ	ਕਾਰਸੀ
Returning	Rtg.
ਪ੍ਰਾਤਿਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਪ੍ਰ. ਪ੍ਰ.
Incidental Charges	I.C.
ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਵ ਗਵਾ	ਆ./ਲ.
Carried Over	C.O.
ਪੀਛੇ ਸੇ ਲਾਵ ਗਵਾ	ਪੀ.ਲ.
Brought Forward	B/F.
ਸਥਾਨੀਂਵ ਚੈਕ/ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਾਫਟ	ਲ.ਡੋ.ਬੈ.
Local Cheque / Demand Draft	L.D.D.
ਕ੍ਰਾਫਟ	ਕ੍ਰ.
Draft	Dft.
ਨਕਵ	ਨਕਵ
Cash	Cash
ਬਾਹਰੀ ਵਿਲ/ਚੈਕ	ਐ.ਵੋ.ਸ਼ੋ.
Outstation Bill / Cheque	O.B.C.
ਆਵਕ ਡਾਕ ਅੱਤਰਣ	ਆ.ਸ.ਲ.
Inward Mail Transfer	I.M.T.
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲ ਵਿਲ ਭਰੌਦ	ਏਫ.ਐ.ਬੀ.ਬੀ
Foreign Outward Bills Purchased	FOBP
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲ ਵਿਲ ਵਸੂਲੀ	ਏਫ.ਐ.ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ
Foreign Outward Bills Collected	FOBC
ਜਾਮੇ	ਡੀ. ਆਰ.
Debit	Dr.
ਜਮਾ	Cr.
Credit	



गोप सभा का नाम  
गोप का नाम

# दातारटट

जयपुर पंचायत का नाम

तहसील

१५४१।।

१००

विकास खण्ड

जिला


११३१।।

क्रम संख्या	पालन नं०	परिवार के प्राणी का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम	पुल्य आ गहिला	धनि. शिवायित जाति की दस्ता में जाति	जन-मतिशि यदि जाति हो अथवा संभाष्य जाति लिखि	साकार आ निर्याए साकार होने की दस्ता में असृता जीव ज्योति	साकिल छोड़ देने या सृतु का दिनांक	अभियुक्ति
					६	७	८	९	१०	११
१	३८७	गोप	गोप	गोप	५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
२					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
३					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
४					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
५					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
६					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
७					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
८					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
९					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१०					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
११					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१२					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१३					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१४					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१५					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१६					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१७					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१८					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
१९					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
२०					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५
२१					५	५०५५	१-१-५५	५५५५	५५५५	५५५५

टिप्पणी :- अभियुक्ति स्तरम् में आदेश की संख्या तथा क्रियांक यदि कोई नाम बढ़ाया या हटाया गया होइल तो उन्हें जाने चाहिए।



संस्कृत नामांकन



दिनांक

१५४१।।

सरकार के आदेशानुसार उपचोक्ता  
कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप  
में मान्य नहीं होगा।

पिता/बात का नाम श्री ... अमृत शर्मा  
पता मकान नं० ..... फैलता  
१. नाम वार्ड ..... सेक्षण ..... नाम राजस्व ग्राम लैलूपुरि/सखा  
शहर/ग्राम जमा लैलूपुरि तहसील लैलूपुरि विडू. श्रीमद्भूमि  
२. परिवार के मुख्यों का व्यवसाय बाजार  
तथा उसका पता .....  
परिवार की कुल वार्षिक वेष्टित आय २५०००/-  
एल.पी.जी. कलेक्शन संख्या  
एस०ब००८०० डैष्ट्री०८०० गैस नहीं है  
गैस एजेंसी का नाम .....  
मास्टर/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक .....  
दुकान रजिस्टर का क्रमांक .....  
प्राधिकृत वितरक का नाम श्री .....  
विनीकरण की दशा में पूर्व .....  
उत्तर कार्ड का क्रमांक ..... १३३१७६

यूनिट वार्षिक वेष्टि	अंकों में	शब्दों में
बालिम	४२	मालिम
नावालिम	१	१
वेण	४२	मालिम

देवाक


हस्ताक्षर फैलता  
परिवार का फैलता

### परिवार के सदस्यों

परिवार के सदस्यों का नाम	वयस्सा	प्रियंका	उपचोक्ता
जगद्दा॒	६	५०	
रमेश रात ठार॑	३५		
नामिर॑	१५		
नामिरा	१८		
नामिरुन	११		
लम्बा लाल॑	१०		
श्रीमा॒	९		
भाइर॑	६		
बुद्धि॑	५		

इस विवरण ने व्यक्तिगत ज्ञान से जब सध्य है और कोई<sup>१</sup> छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर/विशाली अँगूठा  
(परिवार के मुख्यों का)



टिकेता माह ..... से जियनित बट्टुओं का वितरण करें।

प्रत्येक प्रादिकृत पर दिनांक सहित हस्ताक्षर

Counter No:1, OP-Code:06  
To: LOK SUCHEEN ADHIKARI, RAJYA NIRVACHAN AYOG  
DEHRADUN, PIN:248001  
From: MOBIN HASAN JILA ADHYAKSH, SHARQI PRAKASH

विधिकार अधिनियम, 2005

क्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(1) के अन्तर्गत आवेदन

1. आवेदक का पूरा नाम ..... भोलीन हसन डॉ. श्री चुइ हसन
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है ग्राम तेलुगु जोड़ विहारीगढ़ त० भगवानपुर जि० हरिहर
3. दूरध्वाष क्रमांक/मोबाइल नंबर ..... २५८४२२८८७
4. आवेदन देने का दिनांक ..... ४-८-१५
5. कार्यालय का नाम ..... राज्य निवायन दायोग
6. चाही गई जानकारी का विवरण : मूलत : आवेदन संलग्न है ( अलग से सादे कागज पर चाही गई जानकारी का विवरण लिखकर इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दें )
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना रिकार्ड की उभागित ऊति
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला प्रोसेस फी रुपये 10/- नगद/-स्टाम्प ( बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं ) रसीद क्र. एवं दिनांक ३३ F - ८६०५४। पैसेट अड्डे
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा नहीं-हाँ/नहीं यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक X

भोलीन हसन  
हस्ताक्षर ( आवेदनकर्ता )

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 का स्टाम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यू.पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफ्पाफा साथ में संलग्न करें। ( बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं )

प्राप्ती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबन्धित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नर देवा नदी जोका इस स्पेशल क्रमांकमें १०००० अंकों में प्रथम रैंक दिया गया है। इस उपर्युक्त दस रुपयों

NOT NEGOTIABLE

भारतीय डोर्टल ऑर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक व्यापार विभाग DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना डोर्टल ऑर्डर / राज्य  
निवास आपाग दृष्टि

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION एक 1 RUPEE

POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

दृष्टि

के डाकघर में लगा जाए।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के ऊपर चार लिखित DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 760481

6 नीमान लोक सूचना अधिकारी भोदय  
राज्य प्रिवेट आयोग इतराष्ट्र  
देहरादून

विषय- सूचना अधिकारी अन्तर्गत अविद्या

भोदय जापी के १५-२२-२१७ को एक जापी पत्र राज्य  
निवासन अधिकारी भोदया को आवश्यक कार्यवाही है  
प्रेषित किया जा (दायरेविस्तरण) कापी सभाय गुजरात  
के बाद भी उक्त उक्तरण में वहाँ कार्यवाही की जानकारी  
जापी को नहीं हुई है जिस उक्तरण जापी पत्र R.T.I.  
उस्तुत बट जानकारी चाही गई है।

1- उक्त पत्राना पत्र पर क्या कार्यवाही हुई

2- विषय में उक्त पत्राना पत्र में क्या कार्यवाही घल दी

१५-८-२१७

अवधीय  
मालीन हस्त

संक्षिप्त-

1- १५-२२-२१७ को प्रेषित  
जापीनामी की डाटे

2- पोस्टल ऑडिट सं० १०

सं० ३३८ ७६०४८।

जिल्हाध्यक्ष  
अम प्रकोष्ठ  
अम्बाचार निवारक समिति  
मिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
सं० ३३८ तेलपुरा  
सं० ३३८ दिल्ली गढ़  
तेलभगवालपुर  
जिल्हा हरिद्वार

इक टिकटों का मूल्य रु 40

Stamps affixed

तारीख-महिने

Date-stamped

स्ट्री पुस्तक संस्थान अधिकारी

No. 22

ad a Registered

Date

Post Office

Addressed to

सरकारी संस्थान

सरकारी

SAC, Government

जनरल कार्पोरेशन

पाल वाल

अधिकारी विभाग

दिनांक

Signature of Receiving Officer

मुद्रण विभागीय अधिकारी  
मुद्रण विभागीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड

विषय - सुचना अधिकारी अन्तर्गत पुस्तक विभागीय अधीकारी

मंददर्द

मिवडन हुक्म पुस्तकों की दि ०२२-२-१७ की संख.

धार्धनाल

आवश्यक कामबाही हुई हुक्म दिया था।  
जारी समय गुजरने पर आज कोई जवाब नहीं मिला। जिसके  
जारीकरी हुई हुक्म दि ०८-५-१७ की R.T.I आवेदन में जारी  
की दीर्घ समय दिया गया था (दार्याएवं सलान) परन्तु  
प्रदीर्घ ३० दिन के समय उपरान्त भी कोई जवाब  
नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे कारण पुस्तक विभागीय अधीकारी  
प्रस्तुत की जा रही है।

अग्रिम विचारानुसार पुस्तक अधीकारी का  
निपत्रण कर वार्दी सुचना दियी जा बड़ा करे।  
मुपराही होगी।

दि ०१८-३-१७

मंददर्द

- 1- सुचना आवेदन की अनु०
- 2- दीर्घ समय के लिए उत्तर

मंददर्द

मोर्जीन हस्तान

नन्द प्रकाश

मुद्रण विभागीय अधिकारी  
भित्ति दरिखार (आवाहन)

सि. शुभा देवतपुरा

सि. विद्या देवीराज

सि. दीर्घा



दिनांक 19/5/2017

सूचना  
का अधिकार

## राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुमाग अधिकारी/  
 लोक सूचना अधिकारी,  
 कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
 सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन, ग्राम-तेलपुरा, पो०-बिहारीगढ़, तहसील-भगवानपुर, जनपद हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2017 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न ऊर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में अनुरोधकर्ता द्वारा अपने शिकायती-पत्र दिनांक 22.02.2017 के संबंध में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अनुरोधकर्ता का उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 22.02.2017 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में प्राप्त हुआ था, किन्तु उक्त शिकायती-पत्र विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता से संबंधित होने के फलस्वरूप अनुरोधकर्ता के शिकायती-पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रावाहक द्वारा दिनांक 23.02.2017 को आपके कार्यालय में प्राप्त करा दिया गया था। प्राप्ति रसीद की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में 10.00 रु० का भारतीय पोस्ट आर्डर प्रेषित किया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रभात कुमार सिंह)  
 सहायक आयुक्त/  
 लोक सूचना अधिकारी।  
 मो०न०-7534820739

संख्या-११५ /रा०नि०आ०-१/२१८०/२०१७ तददिनांक।(पंजीकृत)  
 प्रतिलिपि:- श्री मोबीन हसन पुत्र श्री नूरहसन, ग्राम-तेलपुरा, पो०-बिहारीगढ़, तहसील-भगवानपुर  
 जनपद हरिद्वार।

(प्रभात कुमार सिंह) 19.5.17  
 सहायक आयुक्त/  
 लोक सूचना अधिकारी।



ग्राम पंचायत अधिकारी को सुनना आवश्यक भवितव्य

उत्तराखण्ड सुनना आयोग देहरादून

- सुनना आवश्यक अवधि ३० दिनीय अपील

### भवितव्य

जारी के दि. २२-२-१७ को इस अवधि अवधिकारी ने आवश्यक सहित के दौरान सरकारी लाभ के अवैद्य प्रबन्ध में रघुनिवास आयोग को भेजा था। जिस पर कोई कृत कामकारी की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। जानकारी हटा दि. ४-५-१७ को R.T.I अवधि किया गया जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि इकत आवैद्य लोकसुनना अधिकारी कार्यालय दोस्ताव किया गया था परन्तु नहीं जानकारी (सुनना) जात नहीं हुई जिस कारण दि. १४-७-१७ की उपम विभागीय अपील प्रवित की गई परन्तु नहीं सुनवाई नहीं हुई जिस कारण जिलीय अपील प्रवृत्त की जा रही है।

अतः भवितव्य के सारे अनुवाय हैं कि जारी की वादित सुनना कार्यवाही की शुरू की जाए और इसकी विधान सुनना की जाए।

२०२९-८-१७

संलग्नक - १- आवैद्य दि. २२-२-१७ की दिया गया

२- दि. ०४-५-१७ का R.T.I अवधि ॥

३- उपम विभागीय अपील ॥

४- दोस्ताव प्रक्रीय ॥

मार्ग दर्शन  
भवितव्य  
जिलाधिकारी  
अम. प्रकाश  
काषायर मिकरन अधिकारी  
फिल्म वर्कर (जिलाधिकारी)  
निःशोषण तेलपुरा  
दैर्घ्य छिट्ठी

**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**

4 - सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in)

फोन नं (0135) - 2712055, 271355

फैक्स नं (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2375 / XXV-12/2015

देहरादून:

दिनांक 19 सितम्बर, 2017.

सेवा में,

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष,  
श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार,  
निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश संख्या- 9963/शिरोसो: 12439/उ०स०आ०/2017 दिनांक 14-09-2017 जो आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक: भ्र०नि०स०/५/१७ दिनांक 22-2-17 जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, को कार्यालय पत्र संख्या-209/XXV-23 (Part-2)/2017 दिनांक 02 मार्च, 2017 (जिसकी छाया प्रति संलग्न है) द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

2— उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने संबंधी आवेदन एवं प्रथम विभागीय अपील इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण इसका निस्तारण नहीं किया जा सका।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आदेश के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

संलग्न—यथोपरि

मवदीर्य,

(मस्तूदास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या— /XXV-12/2015 , तददिनांकित

1—प्रतिलिपि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त वर्णित आदेश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2—प्रतिलिपि श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तूदास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

Email ID- [ceo\\_uttaranchal@eci.gov.in](mailto:ceo_uttaranchal@eci.gov.in) फोन नं (0135) - 2712055, 271355  
फैक्स नं (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 209 /XXV-23(Part-2)/ 2017 देहरादून: दिनांक 22 मार्च, 2017.

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।

विषय:- आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार के पत्रांक भ्र०निः०स०/५/१७ दिनांक 22 फरवरी, 2017 की (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण पर अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,



( मस्तूदास )


सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या- 209/XXV-23(Part-2)/ 2017 , तददिनांकित

प्रतिलिपि श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारक समिति जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट ओ० बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को उनके उक्त वर्णित शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

( मस्तूदास )

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
उत्तराखण्ड।



## संलग्नक-10

(अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र)  
कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन), हरिद्वार।

पत्र सं: ३०४५ / 25-14(सू.अ.अ.) / 2017  
सेवा में,

दिनांक 05-12-2017

श्री मोबीन हसन S/O श्री नूर हसन,  
जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, प्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार।  
विषय:- ग्राम-लौलाहुरा, पो. कोडालीजग्ग, ज़िला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत। विधान सभा निर्वाचन-2017-आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी अनुदान आवेदन के प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 23-11-2017 जो इस कार्यालय में दिनांक 27-11-2017 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 जो जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित है, के साथ संलग्न आपके पत्र दिनांक 22-02-2017 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या-1-उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई, 2-वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है, की सूचना 02 बिन्दु पर चाही गई है।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-209 दिनांक 02 मार्च, 2017 कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण वांछित सूचना उपलब्ध करायी जानी सम्भव नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण आदर्श आचार संहिता की अवधि का होने के कारण उक्त प्रकरण पर अब कोई कार्यवाही किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

उपलब्ध करायी जा रही सूचना से यदि आप असन्तुष्ट हैं तो प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं, जिनका नाम व पता निम्न है।  
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा.)/  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

भवदीय,

  
(पी.बी.भुपिंदेर सिंह),  
लोक सूचना अधिकारी/  
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,  
हरिद्वार।  
दूरभाष नम्बर-01334-239942



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

**सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून**

**शिकायत संख्या:** 12439 / 18(1)

**शिकायत कर्ता:** श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार

### बनाम

**प्रतिपक्षी:** विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

### आदेश

श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार द्वारा आयोग को अपना पत्र दिनांक 29.08.2017 प्रस्तुत किया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त शिकायत का परीक्षण किया गया एवं परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत सक्षम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है / ऐसी विभागीय अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. उक्त शिकायती पत्र को मूल रूप में संलग्नकों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विभागीय अपील के रूप में इसे शासनादेश संख्या 146 दिनांक 22 मार्च 2006 के अनुसंलग्नक 3 में विभागीय अपीलीय अधिकारियों से संबंधित पंजिका में पंजीकृत कर इसकी नियमानुसार सुनवाई करते हुये इसका समयबद्ध निस्तारण करें तथा ऐसे निस्तारण का प्रमाण आयोग को भी निस्तारण के एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें।
4. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

**संलग्नक:-** आवेदन कर्ता का शिकायती पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित।

(झरना कमठान)

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

दिनांक १५.०९.१७

पत्रांक ९९६३ / शिरों: 12439 / ज०र० ०३०/ २०१७

**प्रतिलिपि:**

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. शिकायतकर्ता श्री मोबीन हसन, जिलाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार, निवारक समिति, जिला हरिद्वार, निवासी ग्राम तेलपुरा, पोस्ट औ०-बिहारीगढ़, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ।

—कृपया आयोग से पत्राचार करते समय आयोग द्वारा निर्धारित शिकायत संख्या / अपील संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, देहरादून।

अपील संख्या— 05 / 2018

अपीलकर्ता— श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम—ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी,  
पो०—सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार।

/बनाम

उत्तरदाता:— लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून।  
आदेश

अपीलकर्ता श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम—ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी, पो०—सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक 12-01-2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत 2012 में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का ब्यौरा निर्वाचन आयोग में जमा न करने के कारण जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत/जिला पंचायत के पदों पर दिसम्बर 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के संबंध में इस कार्यालय में तत्संबंधी शासनादेश उपलब्ध नहीं है।

उक्त संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या—176 दिनांक 31 जनवरी, 2018 एवं पत्र संख्या— 232 दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त तिथियों में आप कार्यालय में उपस्थिति नहीं हुए।

यदि आप सहमत हों तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार संबंधित अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृष्ठ संख्या 317 /XXV-12/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2018.

- प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि श्री विनय कुमार सैनी, पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम—ज्वाहर खान उर्फ झीवरहेडी, पो०—सुल्तानपुर कुन्हारी जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं  
विभागीय अपीलीय अधिकारी